

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर


उनवान कृष्ण कुमार बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/317/2022 दा0दि0 19.12.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में थानाधिकारी किशनगढ़-बास की रिपोर्ट प्राप्त है। शा0मि0 की गयी। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 303 दिनांक 21.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्तशुदा वाहन टैम्पू मारुति सुपर केरी रजि0 नम्बर एच.आर. 47 डी. 8842 को अगर वाहन मालिक कृष्ण कुमार को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन टैम्पू मारुति सुपर केरी रजि0 नम्बर एच.आर. 47 डी. 8842 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र/-) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रार्थी वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा।2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। <p>पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 30.01.2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

30/01/23
पत्रावली पेश की जा रही है/अपील उपर
अनु० पीठ की अपील में कार्य राजकार्य में
व्यक्त हैं। पत्रावली को ध्यान में रखकर
क्रमांक 06/02/23 रीडर

02/02/23
करीब 100 के जमानत-पत्र पर
पत्रावली रखकर पीठ के समक्ष
करीब 100 के जमानत-पत्र पर
रखी के पत्रावली नाम पर मुद्दा नम्बर
पत्रावली को दाखिल कर शीत
पत्रावली रिकॉर्ड पत्रावली प्रोवा
सुकर है। इनके विधान मंडल का
को बाह्य व्यक्तियों संबंधी अर्थ
पत्रावली को दाखिल कर शीत
पत्रावली रखकर है


जिला कलेक्टर
अलावर (राज०)